

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प 30/3/20

462
12/6/18

—: आदेश :—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 30/3/20 व भू-अभिलेख निरीक्षक गुडवा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली / नायब तहसीलदार 7 की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सिलपुर तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 17 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।) |
|---------|--------|-------------|---|---|
| 1 | सिलपुर | 17 | धीस्योली पुत्र शिवू कैम्प पत्तार सा-गुडवा (डेनलके से सम्बन्धित) | धीस्योली पुत्र शिवू कैम्प जोटव सा-गुडवा (डेनलके से सम्बन्धित) |

.....
12/6/18

(..... अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत, कैम्प 30/3/20

उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक : -

प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।